<u>फैक्स के माध्यम से / आज ही/ अति महत्वपूर्ण</u>

पत्र संख्या-बी-4-आउट सोर्सिंग से वाहन व्यवस्था-2016-17// 5272 //वाणिज्य कर,

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0 प्र0।

(स्था0अराज0अनुभाग) लखनऊ:: दिनांक :: 19 जनवरी, 2017

विषय: **<u>आउट सोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध वाहन के भुगतान हेतु वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र मुख्यालय पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।</u>**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-4370 दिनांक 05-12-16 का संदर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसके द्वारा आउट सोर्सिग के माध्यम से प्राप्त वाहन के उपयोगकर्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की समाप्ति पर अगले माह की 2 या 3 तारीख तक मुख्यालय पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ट्रैवेल्स एजेन्सी द्वारा माह नवम्बर-2016 एवं दिसम्बर-2016 में किराये के वाहनों के बिल भुगतान हेतु मुख्यालय पर प्रस्तुत किया गया है, किन्तु आपके कार्यालय से वाहन के उपयोगकर्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र अभी तक मुख्यालय पर प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे कि ट्रैवेल्स एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल के सत्यापन के अभाव में भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अत: उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह नवम्बर-2016 एवं दिसम्बर-2016 में किराये पर उपलब्ध वाहन के उपयोगकर्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र फैक्स के माध्यम से आज ही मुख्यालय पर उपलब्ध करानें का कष्ट करें।

भवदीय,

19.01.17

(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर (स्था0 अरा0) वाणिज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।